

मिनिंग म पधार हें । पत्रावली उनक  
समक्ष दि० 29/3/28 को पंश

29<sup>3</sup>/<sub>23</sub> पत्रावली पेश उपी । कोई भी उपदियर  
नहीं है । वादी व वादी वकील को बार-  
आवाज लगाई गई । कोई भी उपदियर नहीं  
हुये । वादी को पूरे में परिवारी की तलबी  
हेतु क्राजी अवसर दिये जाते के बाद भी  
अप्राणी । परिवारी की तलबी हेतु तलवाना  
पेश नहीं किए हैं । जिससे वादी की उम्मीद  
वाद को आगे चलाने की राय प्रारित नहीं  
होगी है । वादी दाय वाकूप के अध्यापक  
रहे व अध्यापक आदेश में पालना नहीं  
करने से पत्रावली 09 205 में खारिज की  
जाती है । पत्रावली फौजल शुभार होकर  
नम्बर से रुक है । बाद 21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 211<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
दफ्तार है ।

उपखण्ड अधिकारी  
रौड (अलवर) राज०